न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः– चम्पालाल जीनगर, RAS

प्रकरण सं. 179/2016 वाद

पृथ्वीराज पिता गोपीलाल नाई, आयु वयस्क, निवासी गादोला, तहसील निम्बाहेड़ा।

– वादी

//बनाम//

1– देवीलाल मुतबन्ना उदयाल गाडरी, आयु वयस्क, निवासी गादोला, तहसील निम्बाहेड़ा।
2– श्यामा बाई पत्नी देवीलाल गाडरी, आयु वयस्क, निवासी गादोला।
3– शम्भुलाल पिता कन्हैयालाल गाडरी, आयु वयस्क, निवासी गादोला।
4– बापुलाल पिता हीरालाल गाडरी, आयु वयस्क, निवासी गादोला।
5– खेमराज पिता गोपाल गाडरी, आयु वयस्क, निवासी गादोला।
6– चांदमल पिता गोपाल गाडरी, आयु वयस्क, निवासी गादोला।
7– रतनलाल पिता रोड़ा गाडरी, आयु वयस्क, निवासी गादोला।
8– गोपाल पिता रोडा गाडरी, आयु वयस्क, निवासी गादोला।
9– मदनलाल पिता रतनलाल गाडरी, आयु वयस्क, निवासी गादोला।
10–मुकेश पिता हीरालाल गाडरी, आयु वयस्क, निवासी गादोला।
11–राजु उर्फ राजेश पिता मोहनलाल गाडरी, आयु वयस्क, निवासी केली, तहसील निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वाद
अन्तर्गत धारा 188 रा0का0अधि0
श्री नरेन्द्र वैष्णव, अधिवक्ता वादीगण उपस्थित

निर्णय दिनांक–29.11.2017

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 188 रा0का0अधि0 का प्रस्तुत करते हुए अंकित किया है कि वाके मौजा गादोला की खाता संख्या 231 की आराजी नं. 1295 रकबा 0.3800 हेक्टेयर भूमि स्थित है। इसके पडोस पूर्व में श्यामलाल, गोपाल पिता भाना लौहार का खेत, पश्चिम में चतरा गाडरी की जमीन, उत्तर में प्रतिवादी संख्या 1 की जमीन व दक्षिण में भुवानीराम रावत की जमीन स्थित है। वादग्रस्त आराजीयात वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की चली आ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रही है और वादी उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा वर्तमान में वादी द्वारा उड़द की फसल काश्त कर रखी है। प्रतिवादीगण का वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की वादग्रस्त आराजीयात से कोई ताल्लुक, सम्बन्ध, सरोकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 वादी की उक्त भूमि के पश्चिमी उत्तरी दिशा का पड़ोसी है और पूर्व में 9 हेक्टेयर भूमि पर नाजायज रूप से कब्जा कर लिया था जिसका कब्जा माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 206/15 बउनवान पृथ्वीराज बनाम देवीलाल गायरी निर्णय दिनांक 17.05.2016 से जरिये अदात दिनांक 25.06.2016 को न्यायालय आदेश की पालना में तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा कब्जा दिलाया गया है और तभी से वादी उक्त भूमि पर शांतिपूर्ण ढंग से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादीगण इस कारण वादी व उसके परिवार से रंजिश रखते हैं और उक्त प्रतिवादीगण द्वारा वादी की आराजीयात पर दोबारा अनाधिकृत रूप से नाजायज कब्जा करने का निर्णय दिनांक 28.06.2016 को षडयंत्र रचकर अवैध गिरोह का निर्माण कर वादी की स्वामित्व व आधिपत्य की आराजीयात में जबरन नाजायज कब्जा करने की कोशिश की व वादी व उसके परिवार वालों के साथ मारपीट व लड़ाई झगड़ा किया। जिस पर प्रकरण संख्या 368/2016 थाना कोतवाली में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ व प्रतिवादीगण के विरूद्ध धारा 143, 447, 323, 504, 307 आई0पी0सी0 में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ जिसमें उक्त कार्यवाही थाना कोतवाली में जेरकार है। प्रतिवादीगण आपराधिक एवं झगड़ालु प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं जो वादी व उसके परिवार के साथ कभी भी लड़ाई झगड़ा करके वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की आराजीयात पर रंजिशवश जबरन नाजायज कब्जा कर सकते हैं। वादी के कृषि कार्य में जबरन बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। समझाने बुझाने पर भी नहीं मान रहे हैं इसलिए मजबुरन वादी को यह दावा स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत करना पड़ रहा है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण को विवादित भूमि के सम्बन्ध में स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश जारी किये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादी एकतरफा सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने नकल जमाबन्दी संवत 2071-74 ग्राम गादोला की खाता संख्या 272 प्रदर्श-1, नक्शा ट्रेस प्रदर्श-2 तथा पूर्व में प्रकरण संख्या 206/2015 निर्णय दिनांक 17.05.2016 व पुलिस विभाग में एवं तहसील कार्यालय में चली कार्यवाही की छायाप्रतियां प्रस्तुत की है। मौखिक साक्ष्य में वादी ने स्वयं का पीडब्ल्यु-1, प्रेमचन्द पिता गोपाल नायक निवासी गादोला पीडब्ल्यु-2, रमेश पिता श्यामलाल नायक निवासी गादोला पीडब्ल्यु-3, कैलाश पिता बगदीराम मीणा

निवासी गादोला पीडब्ल्यु–4 के शपथ पत्र प्रस्तुत किये तथा बयान करवाये हैं।

हमने बहस पर मनन किया। दस्तावेजी साक्ष्यों का गहनता से अध्ययन किया तथा मौखिक साक्ष्य के बयानों पर गौर किया। प्रदर्श–1 अनुसार वादी विवादित भूमि का रेकार्डेड खातेदार है। पूर्व में इसी न्यायालय के आदेश द्वारा वादी को कब्जा दिलाया जा चुका है। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना तामिल के अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं जिससे भी वादी के कथनों को बल मिलता है। रेकार्डेड खातेदार को अपने खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि पर हर प्रकार की विधिक सहायता प्राप्त करने का पूर्ण कानूनी अधिकारी है। वादी का दावा डिक्री योग्य है।

अतः वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की मौजा गादोला की खाता संख्या 231 की आराजी नं. 1295 रकबा 0.3800 हेक्टेयर भूमि में किसी प्रकार की मदाखलत, मजाहमत न तो स्वयं करें ना किसी अन्य से करावें। वादी के उपयोग उपभोग व कृषि में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें ना करावें। वादी को शांतिपूर्णढंग से अपनी खातेदारी भूमि का पूर्ण उपयोग उपभोग करनें दें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 29.11.2017 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(चम्पालाल जीनगर)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा